न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2021/296

1. रामकरण पुत्र श्री श्योनारायण (फौत दौराने अपील)
   1/1 प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री रामकरण
   1/2 महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामकरण
   1/3 मैना देवी पत्नी स्व0 श्री रामकरण समस्त जाति जाट निवासी बिखावाला ग्राम टोडी पोस्ट मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
   1/4 सुमन देवी पुत्री स्व0 श्री रामकरण पत्नी नरसी जाति जाट निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कल्याणपुरा मार्की तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
   1/5 बबीता चौधरी पुत्री स्व0 श्री रामकरण पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी चाहरों की ढाणी, ग्राम कल्याणपुरा मार्की तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. दुल्लाराम पुत्र श्री श्योनारायण
   समस्त जाति जाट निवासी बिखावाला ग्राम टोडी पोस्ट मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. जमना देवी पत्नी स्व0 श्री चोखाराम
2. हनुमान सहाय पुत्र स्व0 श्री चोखाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।
3. रामा पुत्री स्व० श्री चोखाराम पत्नी कानाराम
4. पिरभी पुत्री स्व० श्री चोखाराम पत्नी भैरूराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा जाटान् तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।
5. मंगली पुत्री स्व० श्री चोखाराम पत्नी हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामढ जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेंन्ट्स

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 02/12/2014 बअदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपील संख्या 26/2005 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार बनाम चोखाराम आवंटन दिनांक 10/7/1969 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 21 ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

उपस्थित–
1. श्री सुरेश चाहर वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

निर्णय

दिनांक –05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 02.12.2014 के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 21 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा भूमि के अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 02.12.2014 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जिला जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.12.2014 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन दिनांक 10.07.1969 को निरस्त करने के आदेश दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर प्रथम जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 02.12.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामकरण पुत्र श्री श्योनारायण द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जिला जयपुर दिनांक 02.12.2014 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पो संख्या 1 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 21 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा भूमि को स्व० श्री चोखाराम को आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि का बेचान हरिनारायण पुत्र गुल्लाराम कोम जाट को बैचान कर दिया गया था जिसके पश्चात उसका नामान्तकरण संख्या 628 दिनांक 10/01/1997 को तस्दीक हो गया था उसके पश्चात हाल अपीलान्ट ने हरिनारायण पुत्र गुल्ला से उक्त भूमि दिनांक 14/6/1999 को क्रय कर ली थी। जिसका नामान्तकरण हाल अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में तस्दीक हो गया था। इन सब तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने हाल अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया । भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा हाल अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, तथा उक्त भूमि पर आज मौके पर हाल अपीलान्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कब्जे बाबत कोई जांच नही की गई व न ही हाल अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर

संभागीय आयुक्त

नही दिया गया। जो पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय बिना दस्तावेज का अवलोकन किये, बिना उन्हें रिकार्ड पर लिये बिना उनका गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल, सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना मात्र रेस्पोडेण्ट के कथनों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 02.12.2014 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 21 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा भूमि का आवंटन चोखाराम पुत्र बिरदाराम जाट निवासी गठवाडी के पक्ष में किया गया। प्रकरण में जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति श्री बी०पी० बेरी की अध्यक्षता में गठित कृषि भूमि संबंधी जांच आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आयोग प्रतिवेदन में की गई अभिशंषा अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। राज्य सरकार राजस्व (बेरी आयोग) विभाग के पत्र क्रमांक प03 (78) राजस्व/बेरी आयोग/95 दिनांक 28/01/1995 से जिला कलक्टर जयपुर को कार्यवाही हेतु पत्रावली संख्या जी–86/79 स्टेट बनाम चोखाराम व अन्य में निर्देश देते हुये अग्रेषित की गई एवं बेरी आयोग द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार संबंधित प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया । आवंटन के समय अप्रार्थी आवंटी चोखाराम स्वयं ग्राम पंचायत गठवाडी के पद पर आसीन था तथा वह खुद तत्समय भू–आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था चोखाराम ने स्वयं के सरपंच के पद पर रहते हुये भू–आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अपने आपको भूमि का आवंटन करवाया है, स्वयं ने ही अपने लिये आवंटन किये जाने की सिफारिश की और आवंटन प्राप्त कर लिया। उक्त आवंटन नियमों के विरूद्ध तथा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया हैं। जबकि इस प्रकार का आवंटन प्राप्त करने का वह अधिकार नही रखता था। अतः आवंटन निरस्त किया जावें । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर गनन किया। अपीलान्ट को निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की जानकारी उसे नकल दिनांक 16.10.2023 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि खसरा नं. 21 रकबा 2 बीघा 19 बीस्वा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड है। जिसके विरूद्ध 14(4) में प्रार्थना पत्र पेश होने पर अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 02.12.2014 के द्वारा आवंटन को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी–आवंटी आवंटन के समय स्वयं ग्राम पंचायत गठवाड़ी का सरपंच था तथा उस समय वह भू–आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य भी था । भू–आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में रहते हुये तथा ग्राम पंचायत गतवाड़ी के सरपंच के पद पर आसीन रहते हुये अप्रार्थी–आवंटी ने उक्त आवंटन प्राप्त किया है । आवटी को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिये जाने के बावजूद न तो इसके सारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही उसके द्वारा बेरी आयोग द्वारा की गई सिफारिश में अकित तथ्यों का खण्डन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 02.12.2014 विधिअनुरूप होने से उचित एवं विधिसम्यक है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का निर्णय दिनांक 02.12.2014 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।